रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-14012023-241975
CG-GJ-E-14012023-241975

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 2023/पौष 23, 1944
No. 27] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 2023/PAUSHA 23, 1944

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 12 जनवरी, 2023

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (प्रीमियम का भुगतान और प्राप्ति का तरीका) विनियम, 2022

आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी032.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 और 13 के साथ पठित धारा 28 और वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग की दिनांक 04 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3035 (ई) के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114क की उप-धारा (2) के खंड (यकक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण निम्नलिखित नियम बनाता है: -

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और प्रयोज्यता: -

(1) इन नियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (प्रीमियम का भुगतान और प्राप्ति का तरीका) विनियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

(3) ये विनियम सभी आईआईओ पर प्रयोज्य होंगे।

2. **उद्देश्य:**

इन नियमों का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में बीमा व्यवसाय करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 फख के अनुसार, बीमा पॉलिसी के प्रीमियम के भुगतान का तरीका, जोखिम का पूर्वानुमान, प्रीमियम की प्राप्ति या प्रतिदाय और अन्य नियमों और शर्तों को स्थापित करना है।

3. **परिभाषाएँ -**

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) **'अधिनियम'** का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50);

(ख) **'प्राधिकरण' या 'आईएफएससीए'** का अर्थ है अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण;

(ग) **'नकद जमा'** का अर्थ है बीमाधारक, पॉलिसी धारक या प्रस्तावक द्वारा आईआईओ को प्रीमियम के समायोजन के लिए अग्रिम रूप से नकद जमा राशि;

(घ) **'अनुग्रह अवधि'** का अर्थ है प्रीमियम देय तिथि के तुरंत बाद समय की निर्दिष्ट अवधि जिसके दौरान पॉलिसी को समाप्त होने से बचाने के लिए पॉलिसी का नवीनीकरण करने या उसे जारी रखने के लिए बिना किसी जुर्माने या विलंब शुल्क के भुगतान किया जा सकता है।

(ड़) **'अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय' या "आईआईओ"** का अर्थ वही होगा जो उसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा व्यवसाय का पंजीकरण) विनियम 2021 के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (ट) के अधीन दिया गया है;

(च) **'प्रीमियम'** जोखिम को कवर करने के लिए बीमा के अनुबंध के अधीन भुगतान या देय राशि से संदर्भित है।

(छ) **'प्रीमियम भुगतान वारंटी खंड'** प्रीमियम के भुगतान के समय और तरीके से संबंधित बीमा अनुबंध में समाहित खंड से संदर्भित है;

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो अधिनियम की पहली अनुसूची में वर्णित अधिनियम या अधिनियमों या इनके अधीन बनाए गए किसी नियमों, विनियमों या अधिसूचनाओं में परिभाषित हैं, के अर्थ क्रमश: वही होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों या किसी सांविधिक संशोधन या पुन:अधिनियमन, जैसा भी मामला हो, में उनके लिए नियत किए गए हैं।

अध्याय- II

भुगतान का तरीका, प्रीमियम की प्राप्ति और जोखिम का अनुमान

4. बीमा पॉलिसी लेने का प्रस्ताव करने वाले किसी भी व्यक्ति (जिसे इसके बाद प्रस्तावक कहा जाएगा) या पॉलिसीधारक द्वारा किसी आईआईओ को प्रीमियम का भुगतान निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से किया जा सकता है, अर्थात्: -

(1) इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किए गए भुगतान सहित बैंकिंग चैनलों का उपयोग करके भुगतान का मान्यता प्राप्त साधन;

(2) यदि बीमाधारक अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है तो आईआईओ के पक्ष में प्रीमियम के भुगतान के लिए किसी भी बैंक द्वारा जारी की गई बैंक गारंटी या समतुल्य लिखत;

(3) नकद जमा; या

(4) प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट भुगतान की कोई अन्य विधि या तरीका।

5. प्रीमियम की अग्रिम प्राप्ति सहित या रहित जोखिम का पूर्वानुमान-

इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, आईआईओ निम्नांकित की संतुष्टि के अध्यधीन, जोखिम का पूर्वानुमान लगा सकता है, जोखिम के पूर्वानुमान को जारी रख सकता है या जोखिम के पूर्वानुमान को समाप्त कर सकता है:

(क) इसे देय प्रीमियम प्राप्त हो गया हो;

(ख) इन विनियमों के विनियम 4 के उप-विनियम (2) के अनुसार देय प्रीमियम की गारंटी हो;

(ग) प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट ऐसी राशि, जो प्रीमियम के समायोजन के लिए अग्रिम रूप से जमा की गई हो; या

(घ) इसके लिए देय प्रीमियम इस संबंध में किए गए बीमा अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार या समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट तरीके से किया गया हो।

6. आईआईओ और प्रत्याशी या बीमाधारक, जैसा भी मामला हो, बीमा के अनुबंध में प्रीमियम भुगतान वारंटी खंड को समाहित करके प्रीमियम का किश्तों में भुगतान, समय सारणी और ऐसी किस्तों के भुगतान के तरीके पर पारस्परिक रूप से सहमत हो सकते हैं।

7. बीमा का अनुबंध, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित निर्दिष्ट करेगा:

(1) प्रीमियम के पूर्ण या किश्तों में भुगतान का तरीका और समय सारणी;

(2) अनुग्रह अवधि, यदि कोई हो, और ऐसी अनुग्रह अवधि के भीतर प्रीमियम का भुगतान न करने का परिणाम;

(3) व्यपगत पॉलिसी के पुनर्जीवन की शर्तें, यदि कोई हों;

(4) जोखिम के प्रारंभ होने की तारीख;

(5) व्यवसाय की सीमा, बीमा पॉलिसी की अवधि को ध्यान में रखते हुए, प्रीमियम का भुगतान न करने या प्रीमियम की वसूली न होने पर जोखिम की समाप्ति की तारीख;

(6) आईआईओ और बीमित व्यक्ति द्वारा यथा-सहमत प्रीमियम भुगतान वारंटी खंड, यदि कोई हो; और

(7) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य जानकारी।

8. पुनर्बीमा के अनुबंधों के लिए प्रीमियम का भुगतान. -

(1) ऑटोमेटिक पुनर्बीमा अनुबंधों के अधीन स्वीकार किए गए बीमा पर अग्रिम प्रीमियम के भुगतान के बिना जोखिम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है;

(2) ऐच्छिक पुनर्बीमा के मामले में, प्रीमियम भुगतान वारंटी खंड की शर्तों के अनुसार अग्रिम प्रीमियम के भुगतान के बिना जोखिम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, यदि बीमा अनुबंध में इसे समाविष्ट किया गया है;

(3) पुनर्बीमाकर्ताओं के पास यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र होगा कि सभी प्राप्य प्रीमियम विधिवत रूप से प्राप्त हुए है और इन्हें खाते में डाला गया है।

अध्याय - III

बीमित व्यक्ति को प्रीमियम का प्रतिदाय

9. प्रीमियम का कोई भी प्रतिदाय, जो किसी पॉलिसी को रद्द करने या किसी नियम और शर्त में परिवर्तन या अन्यथा के कारण बीमित व्यक्ति को देय है, आईआईओ द्वारा इन विनियमों के विनियम 4 के उपविनियम (1), (3) और (4) में निर्दिष्ट किसी भी तरीके से भुगतान सीधे बीमाधारक को किया जाएगा और किसी भी स्थिति में एजेंट के खाते में जमा नहीं किया जाएगा।

अध्याय IV

विविध

10. **बोर्ड द्वारा स्वीकृत ऋण जोखिम नीति:** प्रत्येक आईआईओ के पास, अन्य बातों के साथ-साथ, ऋण जोखिम को कम करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए, जिसमें बीमाधारक द्वारा प्रीमियम का भुगतान न करने के नकारात्मक पहलू दर्शाए गए हों।

11. **प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करने और स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति:** इन विनियमों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से और प्रासंगिक मामलों के लिए, या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में बीमा और पुनर्बीमा से संबंधित वित्तीय सेवाओं को सुविधाजनक बनाने और विनियमित करने के लिए, प्राधिकरण दिशानिर्देशों या परिपत्रों के माध्यम से मानदंडों, प्रक्रियाओं, विधियों, नियमों में छूट, यदि कोई हो, सहित, निर्दिष्ट कर सकता है।

12. **कठिनाइयों को दूर करने और विनियमों के कठोर प्रवर्तन में ढील देने की शक्ति:**

(1) इन विनियमों के उपबंधों को लागू करने या उनकी व्याख्या करने में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, प्राधिकरण मार्गदर्शन टिप्पणी या परिपत्रों के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

(2) प्राधिकरण, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, वित्तीय बाजार के विकास के हित में, प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान पर, इन विनियमों की किसी भी अपेक्षा के कठोर प्रवर्तन को शिथिल कर सकता है।

13. निरसन और व्यावृत्तियां:

(1) इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख को और इस तारीख से

(क) बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (प्रीमियम की प्राप्ति का तरीका) विनियम, 2002 के उपबंध अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में लागू होना बंद हो जाएंगे; और

(ख) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालयों का संचालन) दिशानिदेश, 2021 के अध्याय - 2 के अधीन खंड (2) को लोप हो जाएगा।

(2) इन विनियमों के प्रारंभ होने से पूर्व, आईएफएससी में परिचालन करने वाला बीमाकर्ता, इन विनियमों के प्रारंभ होने से छ: महीने की अवधि के भीतर या प्राधिकरण द्वारा यथा-अनुमेय ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर इन विनियमों में निर्दिष्ट अतिरिक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

इंजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./556/2022-23]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 12th January, 2023

International Financial Services Centres Authority (Manner of Payment and Receipt of Premium) Regulations, 2022

IFSCA/2022-23/GN/REG032.—In exercise of the powers conferred by Section 28 read with Sections 12 and 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, and clause (zaa) of sub-section (2) of Section 114A of the Insurance Act, 1938, read with Ministry of Finance, Department of Financial Services, notification number S.O. 3035(E) dated 04th July, 2022, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations namely: -

CHAPTER – I

PRELIMINARY

1. **Short title, commencement and applicability: -**

(1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Manner of Payment and Receipt of Premium) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

(3) These regulations shall be applicable to all IIOs.

2. **Objective:** The objective of these regulations is to put in place the manner of payment of premium for insurance policy, assumption of risk, receipt or refund of premium and other terms and conditions, in accordance with Section 64 VB of the Insurance Act, 1938, for carrying on the insurance business in the International Financial Services Centres.

3. **Definitions –**

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires –

(a) **'Act'** means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);

(b) **'Authority' or 'IFSCA'** means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of Section 4 of the Act;

(c) '**cash deposit'** means deposit of cash by the insured, policy holder or proposer to the IIO in advance towards adjustment of premium;

(d) **'grace period'** means the specified period of time immediately following the premium due date within which the policy is considered to be in force, and payment can be made without any penalty or late fee for renewal or continuation of an existing policy, without the policy getting lapsed;

(e) **'International Financial Services Centre Insurance Office'**or **'IIO'** shall have the meaning as assigned to it under clause (k) of sub-regulation (1) of regulation 3 of the International Financial Services Centres Authority (Registration of Insurance Business) Regulations 2021;

(f) **'premium'** refers to the consideration paid or payable under a contract of insurance to cover the risk;

(g) **'premium payment warranty clause'** refers to a clause incorporated in the contract of insurance, relating to the time and manner of payment of premium.

(2) Words and expressions used and not defined in these Regulations but defined in the Act or Acts mentioned in the First Schedule to the Act or any rules, regulations made thereunder, shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER – II

Manner of Payment, Receipt of Premium and Assumption of Risk

4. The premium to be paid by a person proposing to take an insurance policy (hereinafter referred to as the 'proposer') or by a policyholder to an IIO may be made through any of the following manner(s), namely:-

(1) recognised instrument of payment using banking channels including payment made through electronic mode;

(2) bank guarantee or equivalent instrument issued by any bank in favour of the IIO for payment of premium, in case the insured fails to make such payment;

(3) cash deposit; or

(4) any other method or manner of payment as may be specified by the Authority.

5. **Assumption of risk with or without receipt of premium in advance –**

For the purposes of these regulations, an IIO may assume the risk, continue to assume the risk or terminate any assumption of risk, subject to satisfaction of the following -

(a) the premium payable is received by it;

(b) the premium payable is guaranteed in terms of sub-regulation (2) of regulations 4 of these regulations;

(c) the deposit of such amount, as the Authority may specify, is made in advance for adjustment towards premium; or

(d) the premium payable to it is in accordance with the terms and conditions of the contract of insurance entered into in this behalf or in such manner as may be specified by the Authority from time to time.

6. An IIO and prospect or insured, as the case may be, may mutually agree for payment of premium in instalments, time schedule and manner of payment of such instalments by incorporating a premium payment warranty clause in the contract of insurance.

7. The contract of insurance shall, *inter-alia*, specify the following:

(1) the manner and time schedule of payment of premium in full or in instalments;

(2) grace period, if any and consequence of non-payment of premium within such grace period;

(3) conditions for the revival of lapsed policy, if any;

(4) date of commencement of risk ;

(5) date of termination of risk upon non-payment or non-realization of premium taking into account the line of business, duration of the insurance policy;

(6) Premium Payment Warranty clause, if any, as agreed upon by the IIO and the Insured; and

(7) any other information as may be specified by the Authority from time to time.

8. Payment of Premium for contracts of Reinsurance –

(1) the risk may be assumed without payment of premium in advance on insurances accepted under automatic reinsurance contracts;

(2) In the case of facultative reinsurance, risk may be assumed without payment of premium in advance in accordance with the terms of the Premium Payment Warranty clause, if incorporated in the contract of insurance;

(3) Reinsurers shall have systems in place to ensure that all premiums receivable are duly received and accounted for.

CHAPTER – III

Refund of Premium to the Insured

9. Any refund of premium, which may become due to an insured on account of cancellation of a policy or alteration of any term and condition or otherwise, shall be paid by the IIO directly to the insured in any manner specified in sub-regulation (1), (3) and (4) of regulation 4 of these regulations and shall in no case be credited to the account of the agent.

Chapter IV

MISCELLANEOUS

10. **Board Approved Credit Risk Policy:** Every IIO at all times shall have a Board approved policy on mitigation of credit risk, *inter-alia,* indicating therein the downsides of non-payment of premium by the insured.

11. **Power to specify procedures and issue clarification:** For the purpose of implementation of these regulations and matter incidental thereto, or in order to facilitate and regulate financial services related to insurance and re-insurance in an International Financial Services Centre (IFSC), the Authority may specify norms, procedures, processes, manners including relaxations therefrom, if any, by way of guidelines or circulars.

12. **Power to remove difficulties and relax strict enforcement of the regulations:**

(1) In order to remove any difficulty in the application or interpretations of the provisions of these regulations, the Authority may issue clarifications through guidance notes or circulars.

(2) The Authority, for reasons to be recorded in writing, may in the interest of development of financial market, relax the strict enforcement of any requirement of these regulations, upon payment of fee, if any, as may be specified by the Authority.

13. **Repeals and saving:**

(1) On and from the commencement of these regulations:

(a) The provisions of the Insurance Regulatory and Development Authority (Manner of Receipt of Premium) Regulations, 2002, shall cease to apply in an International Financial Services Centre; and

(b) Clause (2) under Chapter – 2 of International Financial Services Centres Authority (Operations of International Financial Services Centres Insurance Offices) Guidelines, 2021, shall stand omitted.

(2) An IIO operating in an IFSC prior to the commencement of these regulations, shall comply with the additional requirements specified in these regulations, within a period of six months from the commencement of these regulations or within such extended period as may be permitted by the Authority.

INJETI SRINIVAS, Chairperson

[ADVT.III/4/Exty./556/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.